भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2308

दिनांक 23 मार्च, 2022 (02 चैत्र,1944 (शक)) को उत्तर के लिए

नई दिल्ली नगर परिषद में आवास पर अवैध कब्जा

2308 # **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:**

श्रीमती छाया वर्मा:

श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि एनडीएमसी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी, नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा सेवामुक्त कर दिए जाने के पश्चात भी आबंटित आवास पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं; और

(ख) आवास पर अवैध कब्जा जमाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों सहित अपने कर्मचारियों को आवास के आवंटन के संबंध में नियम / विनियम निर्धारित किए हैं। जब भी इन नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आते हैं तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाती है। नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने जानकारी दी है कि ऐसे दो मामले सामने आए हैं।

*****